भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल

[स्रोत: TH]

भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगोड़ों का पता लगाने तथा तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपलब्ध कराने में [भारतीय अन्वेषण एजेंसियों] **की दक्षता बढ़ाने हेतु 'भारतपोल' (BHARATPOL) पोर्टल** लॉन्च किया है।

- **भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल:** [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)] द्वारा विकसित यह पोर्टल केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी साझा करने के लिये [अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल)] **से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है** तथा यह पिछली प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है, जिसमें **केवल CBI को यह पहुँच प्राप्त थी।**
    - भारतपोल **साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी** और **मानव तस्करी** जैसे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावी रूप से समन्वित करता है।
    - यह पोर्टल रेड नोटिस तथा अन्य इंटरपोल नोटिसों से संबंधित कार्रवाई को तेज़ करेगा, जिससे **क्षेत्रीय स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिये अपराधों से निपटना सरल** हो जाएगा।
- **क्षमता निर्माण**: CBI को भारतपोल के प्रयोग पर राज्यों को प्रशिक्षण देने तथा प्रभावी सुनवाई हेतु तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है।

और पढ़ें: [इंटरपोल के नोटिस]

//

इंटरपोल

परिचय

- **आधिकारिक नाम:** अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization-ICPO: INTERPOL)
- **स्थापना:** वर्ष 1923
- **सदस्य राज्य:** 195
  - भारत वर्ष 1956 से इसका सदस्य है।
- **मुख्यालय:** लियॉन, फ्राँस
- यह एक **अंतर-सरकारी संगठन** है।

उद्देश्य

- यह विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के माध्यम से दुनिया भर में पुलिस बलों की आपराधिक जाँच की सुविधा प्रदान करता है।
  - इसके पास गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं।

संरचना

- **अध्यक्ष** (इंटरपोल का प्रमुख)- 4 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- **महासचिव** (दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख करता है) - 5 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- **विशेष निदेशालय - साइबर अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, वित्तीय अपराध, पर्यावरण अपराध, मानव तस्करी आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों से संबंधित है।**
- **महासभा:** सर्वोच्च शासी निकाय (वर्ष में एक बार बैठक)।
  - भारत ने वर्ष 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी की।

इंटरपोल के नोटिस

- इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है।

इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB)

- NCB, इंटरपोल के लिये नामित संपर्क बिंदु होते हैं।
- भारत का इंटरपोल NCB - **केंद्रीय अन्वेषण जाँच ब्यूरो (CBI)**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bharatpol-portal